न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 01/2021

दायर दिनांक : 07/09/2021

निर्णय दिनांक : 25.08.2022

उनवान

1. पुष्पा पिता दीपा लाल जाति यादव उम्र 39 वर्ष निवासी कांकरवा हाल मुकाम मंगलनाथ गायत्री पीठ, उज्जैन
2. मांगी बाई पत्नी दीपा लाल जाति यादव उम्र 65 वर्ष निवासी कांकरवा हाल मुकाम मंगलनाथ गायत्री पीठ, उज्जैन

अपीलान्ट्स

बनाम

1. गोपाल पिता चुन्नी लाल जाति यादव उम्र बालिग वर्ष निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर जिला चितौडगढ (राज0)
2. मांगी बाई पत्नी चुन्नी लाल जाति यादव उम्र बालिग वर्ष निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर जिला चितौडगढ (राज0)
3. रेणु बेवा राजू जाति यादव उम्र बालिग वर्ष निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर जिला चितौडगढ (राज0)
4. यश पुत्र राजू नाबालिग व विलायत माता रेणु बेवा राजू जाति यादव निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर जिला चितौडगढ (राज0)
5. कार्तिक पुत्र राजु नाबालिग व विलायत माता रेणु बेवा राजू जाति यादव निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर जिला चितौडगढ (राज0)
6. गीता बाई पत्नी गणपत जाति यादव उम्र बालिग वर्ष निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर जिला चितौडगढ (राज0)
7. मनोहर देवी पत्नी गोवर्धन लाल यादव जाति यादव उम्र बालिग वर्ष निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर जिला चितौडगढ
8. उपपंजीयक अधिकारी साहब भूपालसागर तहसील भूपालसागर जिला चितौडगढ
9. श्रीमान् तहसीलदार साहब भूपालसागर तहसील भूपालसागर जिला चितौडगढ
10. पटवारी साहब पटवार हल्का कांकरवा तहसील भूपालसागर जिला चितौडगढ

रेस्पोडेन्ट

राजस्व अपील अंतर्गत धारा–75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति : 1. श्री आसिफ ईकबाल
2. श्री कन्हैयालाल माली

:: निर्णय ::

वकील अपीलान्ट्स की ओर से अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कांकरवा पटवार हल्का कांकरवा के हल्के बेरूनी में स्थित हाल आराजी संख्या 1233 रकबा 0.29 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1234 रकबा 0.24 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1235 रकबा 0.54 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1243 रकबा 0.39 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1244 रकबा 0.10 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1246 रकबा 0.32 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1247 रकबा 0.07 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1297 रकबा 0.46 हैक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा [illegible] हैक्टेयर स्थित होकर जमाबंदी संवत् 2052–53 में चुन्नी लाल, लक्ष्मण, दीपा पिता भेरा यादव के नाम [illegible] दर्ज है। वजह सबुत जमाबंदी संवत् 2052–53 अपील के साथ पेश है जो वर्तमान अपीलान्ट्स [illegible] कब्जे काश्त में हैं। यह कि अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील में मृतक [illegible] बताते हुए वारिसान का सजरा अंकित किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.08.31 13:29:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला–चित्तौडगढ (राज.)

श्री

उपरोक्त सजरे अनुसार हम अपीलान्ट्स के नाम उक्त आराजियात का नामान्तरण दीपा पिता भेरा से हमारे नाम दर्ज होनी चाहिए लेकिन अधीनस्थ ग्राम पंचायत व तहसील कर्मचारी व रेस्पोडेन्ट ने मिलकर हम अपीलान्ट को फौत बता कर हम अपीलान्ट का हक हिस्सा रेस्पोडेन्ट ने अपने नाम अंकन कर दिया जो प्रथम दृष्टया ही गलत है कानूनन भी अधीनस्थ ग्राम पंचायत व अधीनस्थ तहसील कर्मचारियों को कोई अधिकार नहीं था फिर भी इस प्रकार रेस्पोडेन्ट ने गलत सजरा पेश किया जिस पर नामान्तरणकरण खोला गया जो निरस्त होने योग्य है। अपील की कॉलम संख्या 1 में वर्णित आराजियात के 1/3 हक हिस्से के हम अपीलान्ट्स उतराधिकारी है और अपील में वर्णित सजरे अनुसार मृतक लक्ष्मण लाऔलाद फोत होने से मृतक लक्ष्मण के 1/3 हिस्से में से 1/2 हक हिस्से केहम उतराधिकारी होने से रेवेन्यू रिकार्ड में हम अपीलान्ट्स का नाम होना चाहिए। यह कि उक्त आराजियात को रेस्पोडेन्ट ने अनुचित तरीके से एवं अवैधानिक रूप से हम अपीलान्ट्स को फौत बताकर राजस्व रेकार्ड में संपूर्ण हिस्सा अपने नाम करा कर इसका नाजायज फायदा उठाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 6 व 7 को आराजियात का कुछ हिस्सा विक्रय कर दिया जबकि कानूनन उनको ऐसा करने का अधिकार नहीं था, जिस कारण उक्त खोला गया नामान्तरणकरण निरस्त होने योग्य है। यह कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत कांकरवा ने बिना किसी जांच किए एवं रेस्पोडेन्ट से मिली भगत कर बिना किसी अधिकार के इन्तकाल संख्या 164 दिनांक 06/07/1998 खोलकर उक्त आराजियात को रेस्पोडेन्ट के नाम अंकित कर दिया जो गलत है और इस प्रकार ग्राम पंचायत ने नामान्तरणकरण खोलने का आदेश देने की भारी भूल की है क्योकि अधीनस्थ ग्राम पंचायत को सभी तथ्यों एवं जीवित वारिसों की जांच कर इन्तकाल फेसल करना था लेकिन वास्तविकता इस प्रकार है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत एवं पटवारी व गिरदावर ने अपील में वर्णित सजरे अनुसार जीवित वारिसान की जांच किए बिना ही रेस्पोडेन्ट से मिली भगत कर संपूर्ण आराजियात मृतक चुन्नीलाल के वारिस के नाम रेवेन्यू इंतकाल कर दिया और पटवारी, गिरदावर व अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने अपने अधिकार से परे जाकर अवैधानिक तरीके से संपूर्ण आराजियात का इंतकाल मृतक चुन्नीलाल के वारिस के नाम दर्ज कर भारी भूल की है जो प्रथम दृप्टया ही निरस्त होने योग्य है। यह कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत का निर्णय, निर्णय की परिभाप्या मे नहीं है चुकि उक्त आराजियात में 1/3 हक हिस्सा के अपीलान्ट्स विधिक वारिश और मृतक लक्ष्मण लाऔलाद फोत होने से मृतक लक्ष्मण के 1/3 हक हिस्सा में 1/2 हक हिस्से` अपीलान्ट्स विधिक विधिक वारिस है उक्त आराजियात में अपीलान्ट्स का हिस्सा होते हुए भी ग्राम पंचायत व तहसील कर्मचारियों ने तथ्यों की जांच किए बिना नामान्तरणकरण संख्या 164 खोल कर रेस्पोडेन्ट का नाम अंकन कर दिया जो गलत है। यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या 9 आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है क्योंकि पटवारी व गिरदावरी आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं अंकन हेतु पक्षकार है। यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से लगाकर 3 में व रेस्पोडेन्ट संख्या 6 व 7 ने दिनांक 05/08/2021 को धमकी दी कि उक्त आराजियात में हमारा नाम हैं जिससे आराजियात को रहन, बह, बक्षीस, वसीयत, मुन्तकील करने की धमकी दी जिससे उक्त इंतकाल की जानकारी दिनांक 11/08/2021 को मिलने से अपील न्यायालय आप में अंदर अवधि पेश है।यह कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत का निर्णय बिल्कुल ही गलत है। कानून के विपरीत है प्रार्थी अपीलान्ट्स काश्तकार है। अपीलाधीन निर्णय को कभी भी प्रश्नगत किया जा सकता है। यह कि अपील आवश्यक कोर्ट फीस मय सम्मन प्रोसेस तलवाना के मय शपथ पत्र पेश है अतः प्रार्थना है कि अपीलान्ट्स की अपील स्वीकार फरमा अधीनस्थ ग्राम पंचायत का निर्णय निरस्त फरमाया जाकर अपील में वर्णित कॉलम संख्या 1 में वर्णित हाल आराजियात नम्बर के राजस्व रिकार्ड में हम अपीलान्ट्स का सजरे अनुसार हमारा हिस्सा दर्ज किया जावें, वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेन्ट 6 व 7 का नाम हटाया जाने का आदेश फरमावें।

अपीलान्ट्स की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत [illegible] प्रस्तुत करते हुऐ बताया कि, हमें दिनांक 11.08.2021 को तहसील से नकले प्राप्त करने प[illegible]ई कि, हमें मृत बताकर रेस्पोडेन्ट्स द्वारा दिनांक 06.07.1998 को दीपा पिता [illegible] मामला कीमती जायदाद से संबंधित है, प्रार्थिया कीमती जायदाद से वंचित हो जायेगी, अतः प्रा[illegible] स्वीकार कर देरी अवधि को कन्डोन फरमाया जावे। रेस्पोन्ट्स ने धारा 5 के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तरण सं. 164 दिनांक 06.07.1998 खोला गया, जो [illegible]व सत्य है, मृतक दीपा से अपीलान्ट का कोई पारिवारिक संबंध नहीं है, फर्जी पक्षकार बनकर झूठी अपील पेश की है, विवादित आराजियात पर कब्जा नहीं है, जायदाद हडपने की नियत से झूठी अपील पेश की है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.08.31 13:29:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अपीलान्ट्स द्वारा मियाद अधिनियम, 1963 की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है व ग्राम कांकरवा के नामान्तरकरण संख्या 164 दिनांक 06.07.1998 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार, भूपालसागर को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक दीपा पिता भूरा यादव के विधिक वारिसान की जांच कर, बाद जांच नियमानुसार नये सिरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार, भूपालसागर को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

दिनांक : 25/08/2022

(भावना सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.08.31 13:29:01 IST
Reason: SelfAttested